न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 744 सन 2020

राज्य.............................. बनाम ....शानू

आरोप

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर एतद्द्वारा आप शानू पर निम्न आरोप लगाता हूँ:—

यह कि दिनांक 25.04.2020 को समय 8.15 बजे (प्रहर तीन) स्थान दुकान सुहैल उर्फ बिलाल, स्थित मौहल्ला कोट, कस्बा व थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर पर आपने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में साशय व ज्ञानपूर्वक तथा उन परिस्थितियों में जान से मारने की नीयत से वादी के भाई सुहैल उर्फ बिलाल पर आग्नेयास्त्र से फायर किया, जिससे वह बाल बाल बचा, तत्पश्चात उस पर चाकू से प्रहार कर प्राणघातक चोटें पहुंचायीं, कि यदि आपके पहुंचायी गयी चोटों से सुहैल उर्फ बिलाल की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते, इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 307** के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 06.01.2021 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 06.01.2021 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 744 सन 2020

राज्य.............................. बनाम ....शानू

अपराध संख्याः 316 सन 2020

धाराः 307 भा0दं0सं0

थानाः खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर जुर्म अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त शानू पर जुर्म अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 21.01.2021 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

दिनांकः 06.01.2021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 1147 सन 2020

राज्य............................ बनाम ....शानू

<u>आरोप</u>

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर एतद्द्वारा आप शानू पर निम्न आरोप लगाता हूँः–

यह कि दिनांक 26.04.2020 को समय 12.30 बजे, स्थान सेन्ट्रल पॉटरी एरिया, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में आपको पुलिस बल द्वारा गिरफतार किया गया तथा जामा तलाशी लेने पर आपके कब्जे से मु0अ0सं0 316 सन 2020, धारा 307 भा0दं0सं0 थाना खुर्जा नगर की घटना में प्रयुक्त एक अदद छुरी नाजायज बरामद हुई, जिसे रखने का आपके पास कोई वैध अधिकारपत्र नहीं था, इस प्रकार आपने **आयुध अधिनियम की धारा 4/25** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 06.01.2021 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 06.01.2021 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 1147 सन 2020
राज्य............................ बनाम ....शानू
अपराध संख्याः 317 सन 2020
धाराः 4/25 आयुध अधिनियम
थानाः खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर जुर्म अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त शानू पर जुर्म अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 21.12.2021 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 06.01.2021 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 1368 सन 2020

राज्य.............................. बनाम ....शानू

आरोप

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर एतद्द्वारा आप शानू पर निम्न आरोप लगाता हूँ:–

यह कि दिनांक 26.04.2020 को समय 12.30 बजे, स्थान सेन्ट्रल पॉटरी एरिया, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में आपको पुलिस बल द्वारा गिरफतार किया गया तथा जामा तलाशी लेने पर आपके कब्जे से मु0अ0सं0 316 सन 2020, धारा 307 भा0दं0सं0 थाना खुर्जा नगर की घटना में प्रयुक्त एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर, जिसकी नाल में खोखा कारतूस फंसा था, बरामद हुआ, जिसे रखने का आपके पास कोई वैध अधिकारपत्र नहीं था, इस प्रकार आपने **आयुध अधिनियम की धारा 3/25** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 06.01.2021 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 06.01.2021 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा, जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्याः 1368 सन 2020
राज्य............................ बनाम ....शानू
अपराध संख्याः 318 सन 2020
धाराः 3/25 आयुध अधिनियम
थानाः खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

<u>आदेश</u>

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित है।

मैंने आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त पर जुर्म अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त शानू पर जुर्म अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 21.12.2021 को पेश हो।

(नीरज कुमार गर्ग)
दिनांकः 06.01.2021 अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)।